

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी फैजाबाद

पत्रांक—आई-7/एफ.एस./2013 (विद्यालय)

दिनांक : 19/9/2022

सेवा में,

गोपनीय उचित विद्यालय कालेज
उपरोक्त संस्था के लिए

विषय :- मा० न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 483/2004, अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 13/04/2009 के अनुपालन में स्कूलों/कालेजों में अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था प्रमाण-पत्र का निर्गत किया जाना।

सन्दर्भ:- आवेदक गोपनीय उचित विद्यालय कालेज का प्रार्थना पत्र दि० NIL

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विद्यालय/कालेज का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी..... श्री द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। इनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 19/09/22 के अनुसार विद्यालय/ कालेज की भूमि भवन एवं उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निम्नवत् पायी गयी—

(क) ढाँचागत व्यवस्थाएँ—

1. विद्यालय/कालेज का कुल प्लाट एरिया 9155.49 वर्ग मी० है।
2. भूतल कवर्ड एरिया 602.09 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 8 है।
3. प्रथम तल कवर्ड एरिया 2 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 8 है।
4. द्वितीय तल कवर्ड एरिया 0 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 0 है।
5. विद्यालय/कालेज तक पहुँच मार्ग मोटरबुल 20 भवन 2005 के पूर्व/बाद का बना है।
6. नियमानुसार/आवश्यकतानुसार सेट बैक 4 भवीति 45
7. विद्यालय परिसर/भवन के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन भवीति 45

(ख) उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाएँ—

1. नियमानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था (सिस्टम/उपकरण) कार्यशील दशा में पायी गयी। शिक्षकों/कर्मचारियों को उपकरणों के चलाने की जानकारी दी गयी।
 2. आपातकालीन टेलीफोन नं० 101, 100 तथा 05278-224233 के पटिका पर अंकित करने व विद्यालय में जहरीले/अति ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ नहीं रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।
 3.
- अतः आवेदक को इस शर्त पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यन्त्रों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराकर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र व उपकरणों का नवीनीकरण कराया जाना अति आवश्यक होगा। अग्निशमन उपकरणों को अकार्यशील दशा में पाये जाने परद यह प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(महावीर प्रसाद)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

फैजाबाद

प्रतिलिपि: (1) प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ई. उरु. रमेश का सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
(2) अग्निशमन अधिकारी..... को सूचनार्थ प्रेषित।